



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2180]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2009/पौष 1, 1931

No. 2180]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2009/PAUSA 1, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3267(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिनौले के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और अन्य पहलुओं को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को आवश्यक वस्तु आदेश, 2009 कहा जाएगा ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की, अनुसूची के क्रम संख्या (7) की मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

“(iv) बिनौला” ।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 15/1/2007-ई सी आर एंड ई]

राकेश कक्कड़, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2009

S.O. 3267(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, to regulate the production, quality, distribution and other aspects of cotton seed, namely :—

1. (1) This order may be called the Essential Commodities Order, 2009.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Essential Commodities Act, 1955, in the Schedule, in serial number (7), after item (iii), the following item shall be added, namely :—

“(iv) cotton seed”.

3. This notification shall remain in force for a period of six months from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 15/1/2007-ECR & E]

RAKESH KACKER, Addl. Secy.